न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 08/2017
दायर दिनांक – 09/01/2017
निर्णय दिनांक – 17/05/2018

अनवान

1. रतनलाल पिता मोहनलाल जाट सिन्देसर खुर्द, तहसील रेलमगरा
2. पारसदेवी पत्नि स्व. मांगीलाल जाट सिन्देसर खुर्द, तहसील रेलमगरा
3. सुनील पिता स्व. मांगीलाल जाट जरिये नाबालिग जरिये संरक्षक माता पारस देवी पत्नि स्व. मांगीलाल जाट सिन्देसर खुर्द, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. दिनेश पिता स्व. मांगीलाल जाट जरिये नाबालिग जरिये संरक्षम माता पारस देवी पत्नि स्व. मांगीलाल जाट सिन्देसर खुर्द, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

वादीगण

बनाम

1. किशनलाल पिता लेहरूलाल जाट सिन्देसर खुर्द, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसील महोदय रेलमगरा, जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

: : निर्णय : :

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के प्रस्तुत किया कि ग्राम सिन्देसर खुर्द मे आराजी संख्या 367, 368 कुल किता–02 कुल रकबा 02–19 बीघा भूमि स्थित है। प्रमाण मे नकल जमाबंदी की प्रमाणित प्रति साथ सलंग्न है। वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात वादी संख्या 01 व वादी संख्या 02 के पति एवं वादी संख्या 03 व 04 के पिता की क्रयशुदा होकर वर्तमान में वादीगण के कब्जे काश्त में होकर वादीगण उक्त आराजीयात का उपयोग उपभोग कर रहे है। वाद पत्र की कलम संख्या 01 मे वर्णित आराजी संख्या 367 ग्राम सिन्देसर खुर्द की जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज है। उक्त आराजी पूर्व में ग्राम सिन्देसर खुर्द पटवार हल्का राजपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2052–2055 के खाता संख्या 174 में प्रतिवादी संख्या 01 के पिता

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

लेहरूलाल क नाम दर्ज थी। प्रतिवादी संख्या 01 के पिता लेहरूलाल को रूपयों की आवश्यकता होने से वादपत्र की कलम संख्या 01 मे वर्णित आराजी संख्या 367 रकबा 02–15 बिघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17/07/1999 को बेएवज 40000/–रूपये में वादी संख्या 01 व वादी संख्या 02 के पति तथा वादी संख्या 03 व 04 के पिता मांगीलाल जाट को विक्रय कर दी गई और विक्रय दिनांक से ही उक्त आराजी का कब्जा प्रतिवादी संख्या 01 के पिता लहरूलाल ने वादी संख्या 01 व वादी संख्या 02 के पति 03 व 04 के पिता को सिपूर्द कर दिया और उक्त समय से ही वादीगण उक्त आराजी का उपयोग उपभोग निर्वघ्न रूप से करते चले आ रहे है। वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजी संख्या 368 किस्म आ.चा. ग्राम सिन्देसर खुर्द तहसील रेलमगरा पटवार हल्का राजपुरा की चालू जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 में प्रतिवादी संख्या 01 क दादा उदयराम पिता जयराम के नाम दर्ज है। सम्वत् 2052 से 2055 की ग्राम सिन्देसर खुर्द की जमाबंदी मे भी आराजी संख्या 368 प्रतिवादी संख्या 01 के पिता उदयराम के पिता जयराम के नाम दर्ज थी। उक्त आराजी का विरासत का नामान्तरणकाण नही खुलने से आज भी उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 के दादा उदयराम पिता जयराम के नाम ही राजस्व रेकार्ड मे दर्ज चली आ रही है। उक्त आराजी मे उदयराम का 1/6 हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे होने से उदयराम की दो संतान होने से उक्त विक्रय प्रतिवाद संख्या 01 के पिता लेहरूलाल का 1/12 वा हिस्सा विरासत के अनुसार बनता है। प्रमाण मे जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपी साथ सलंग्न है। वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजी संख्या 368 रकबा 00–04 बीघा किस्म आ.चा. का दिनांक 17/07/1999 को वादी संख्या 01 एवं वादी संख्या 02 के पति तथा वादी संख्या 03 व 04 के पिता मांगीलाल जाट को विक्रय कर दिया गया तथा विक्रय की राशि 15000 रूपये प्रतिवादी संख्या 01 के पिता लेहरूलाल को अदा कर दिये थे। आराजी संख्या 367, 368 का विक्रय एक ही दिनांक को होने के कारण दोनो आराजीयात की कुलिया राशि 55000 रूपये प्रतिवादी संख्या 01 के पिता लेहरूलाल को अदा कर दी थी। किन्तु वक्त विक्रय आराजी संख्या 368 प्रतिवादी संख्या 01 के पिता क नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज न होकर प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

संख्या 01 के दादा उदयराम पिता जयराम के नाम दर्ज थीं, जिससे आराजी संख्या 368 के विक्रय पत्र का पंजियन नही हो पाया था।जिससे प्रतिवादी संख्या 01 के पिता ने क्रेता को तत्कालीन क्रेता वादी सख्या 01 एव वादी संख्या 02 के पति व वादीसंख्या 03 व 04 क पिता को यह विश्वास दिलाया था कि आराजी संख्या 368 उनके नाम पर नामान्तरणकरण खुलने पर उक्त आराजी का उनके कहे अनुसार पंजीयन करवा देंगें । तथा विक्रय दिंनाक को आराजी संख्या 368 का उपयोग उपभोग क्रेता निर्वध्न रूप से करते रहेंगे। उसमे कोई बाधा या दखलन्दाजी नही करेंगे, तब से वादीगण आराजीसंख्या 368 आ.चा. के रूप मे खरीदशुदा हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। विक्रय पत्र की फोटोप्रति साथ सलंग्न है। विक्रय के पश्चात क्रेतागण द्वारा विक्रय के दस्तावेज पटवार हल्का को दिये थे, किन्तु पटवार हल्का द्वारा उक्त दस्तावेज के आधार पर भूमि क्रेता के नाम पर दर्ज नही की। क्रेतागण दस्तावेज देने के बाद इस विश्वास मे रह गये कि भूमिया उनके नाम पर विक्रयपत्र के आधार पर दर्ज हो गयी होगी। जिससे उन्होने कोई जांच पडताल करने का प्रयास नही किया। वक्त गुजरने के साथ ही प्रतिवादी के पिता लेहरूलाल की मृत्यु करीब 08 वर्ष पूर्व हो गई तथा क्रेता मांगीलाल पिता किशनलाल जाट जो की वादी संख्या 02 का पति एवं वादी संख्या 03 व 04 का पिता है की मृत्यु 2014 मे हो गई। प्रतिवादी संख्या 01 के पिता लेहरूलाल की मृत्यु के पश्चात लेहरूलाल के विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 व लेहरूलाल की पुत्री कैलाशी व लेहरूलाल की पत्नि झमकु के नाम भूमियों का नामान्तरणकरण संख्या 745 दिनाकं 06/12/2010 को फैसल किया गया तथा दिनांक 01/04/2013 को नामान्तरणकरण संख्या 791 प्रतिवादी की बहिन कैलाशी एव प्रतिवादी संख्या 01 की माता झमकु द्वारा उनके नाम विरासत में प्राप्त भूमियों का हकत्याग करने से प्रतिवादी संख्या 01 के नाम फैसल किया गया। प्रमाण में दोनो नामान्तरणकरण की सत्यापित प्रति साथ सलंग्न है। वादी संख्या 02 के पति एवं 03 व 04 के पिता मांगीलाल की मृत्यु पश्चात् मांगीलाल की विधवा पत्नि एवं छोटे बच्चे होने की वजह से प्रतिवादी संख्या 01 के मन मे उसके पिता द्वारा विक्रयशुदा जमीन को पुनः हडपने की बद्नियती उत्पन्न हो गई। जिससे प्रतिवादी संख्या 01

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने हेतू आमादा होकर लडाई झगडा करने लग गया और कहने लगा कि जमीन उसके नाम पर है। जिससे जमीन से कब्जा छोड दो नही तो वह वादीगण के साथ मारपीट करके बेदखल कर देगा तथा उसके बावजुद भी वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी को नही देने पर प्रतिवादी संख्या 01 वादग्रसत आराजी को अन्य व्यक्ति को विकय करके खुर्द बुर्द कर देगा। तब वादीगण ने दिनांक 29/11/2016 को वादग्रस्त भूमि की चालु जमाबंदी की नकल प्राप्त की, तो वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर अंकित होने का ज्ञान हुआ। तब वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 से निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि आराजीयात वादीगण ने प्रतिवादी के पिता लेहरूलाल जी से प्रतिफल राशि अदा करके कय की है। जिससे वह झगडा नही करके सहमति के आधार पर वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम पर करवा दे। किन्तु वादीगण संख्या 01 इस बात पर सहमत नही हुआ। और वादग्रस्त भूमि से वादीगण को बेदखल करने एवं विकय करने पर आमादा है। जिससे उक्त वाद वादीगण की और से आप न्यायालय से समक्ष प्रस्तुत है। वादीगण द्वारा जमाबंदी की नकल प्राप्त करने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 01 से वादग्रस्त भूमि पर नाम पर करवाने के निवेदन के पश्चात् भी प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा इन्कार करने एवं भूमि से बेदखल करने पर आमादा होने से उक्त वाद का वाद हेतूक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है ।प्रतिवादी संख्या 2 को भूमिधारक होने से पक्षकार बनाया गया है। अन्यथा इनके विरूद्ध कोई दाद नही चाही गई है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्य 1 स्वीकार फरमाया जाकर निम्न आशय की डिकी प्रचलित फरमाई जावे कि वादपत्र की कलम संख्या 01 मे वर्णित आराजीयात वादीगण के नाम सयुंक्त रूप से घोषित की जाकर राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम अंकन फरमाया जावे। वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 01 का नाम दर्ज है जिसको विलोपित किया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश पारित फरमाया जावे। वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 उक्त भूमि मे वादीगण के उपयोग उपभोग मे कोई बाधा हस्तक्षेप नही करे तथा नही उक्त कार्य अपने परिवार वालों , मिलने वालों, नौकर चाकर एजेण्ड

21/

सहायक कलक्टर

इत्यादि से करावे। इस हेतू प्रतिवादी संख्या 01 को स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये प्रतिबधित करमाया जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 भूमि धारक होकर उनके विरूद्व कोई दाद नही चाही गयी है तथा प्रकरण प्रतिवादी संख्या 01 के जवाब में नियत था कि प्रकरण को राजस्व सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम पंचायत राजपुरा पर आयोजित शिविर में रखा गया। दौराने शिविर पक्षकारान उपस्थित हुये जिस पर पक्षकारान को लोक अदालत की भावना से समझाईश की गयी जिस पर पक्षकारान द्वारा समझाईश एवं लोक अदालत की भावना से प्ररित होकर पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति होकर पक्षकारान ने अपना लिखित राजीनामा प्रस्तुत किया गया।

अतः प्रकरण में पक्षकारान के आपसी राजीनामें के आधार पर वादी का वाद आंशिक रूप से घोषणा का स्वीकार किया जाकर ग्राम सिन्देसर खुर्द के आराजी संख्या 367, 368 कुल किता–02 कुल रकबा 02–19 बीघा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 01 को नाम विलोपित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से का वादीगण को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। तहसीलदार रेलमगरा को पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 17/05/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर लोक अदालत कैम्प राजपुरा पर सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– शक्ति सिंह भाटी आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :– 08/2017

अनवान

वादीपक्ष :–

1. रतनलाल पिता मोहनलाल जाट सिन्देसर खुर्द, तहसील रेलमगरा
2. पारसदेवी पत्नि स्व. मांगीलाल जाट सिन्देसर खुर्द, तहसील रेलमगरा
3. सुनील पिता स्व. मांगीलाल जाट जरिये नाबालिग जरिये संरक्षक माता पारस देवी पत्नि स्व. मांगीलाल जाट सिन्देसर खुर्द, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. दिनेश पिता स्व. मांगीलाल जाट जरिये नाबालिग जरिये संरक्षम माता पारस देवी पत्नि स्व. मांगीलाल जाट सिन्देसर खुर्द, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

बनाम

प्रतिवादीपक्ष :–

1. किशनलाल पिता लेहरूलाल जाट सिन्देसर खुर्द, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसील महोदय रेलमगरा, जिला राजसमन्द

दावा :– घोषणा एव स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से :–सुरेश चौधरी

प्रतिवादी की ओर से :–आर0के0सनाढ्य

में इस आशय मे दिनांक 17/05/2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान के आपसी राजीनामें के आधार पर वादी का वाद आंशिक रूप से घोषणा का स्वीकार किया जाकर ग्राम सिन्देसर खुर्द के आराजी संख्या 367, 368 कुल किता–02 कुल रकबा 02–19 बीघा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 01 को नाम विलोपित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से का वादीगण को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रेलमगरा को पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 17/05/2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी की गई।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं लैण्ड रेकॉर्ड अधिकारी (एस0डी0ओ0) रेलमगरा जिला राजसमन्द

क्रमांक / लोक अदालत / कोर्ट / 18 / दिनांक :- 12/7/18

प्रेषिति :-

तहसीलदार रेलमगरा

अनवान

(1) रतनलाल पिता मोहन लाल जाट आदि निवासी… वादी

बनाम

(1) किशन लाल पिता मोहन लाल जाट आदि निवासी… प्रतिवादी

विषय :- निर्णय / ~~डिक्री~~ की पालना करने के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 8/17 रेवा… के निर्णय / ~~बटवारा फरिहस्त मय नक्सा ट्रेस~~ की प्रतियां साथ संलग्न करा आपको भिजवायी जा रही है।

अतः आप निर्णयानुसार पालना की जाकर पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को शीघ्र ही भिजवाया जाना सुनिश्तिच करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

सहायक कलक्टर एवं
लैण्ड रेकॉर्ड अधिकारी
(एस0डी0ओ0) रेलमगरा
रेलमगरा